मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर–1 गोमतनीनगर विस्तार फेज–2 लखनऊ
(फैक्स नम्बर–0522–2724030)

पत्र संख्याः लाजि0–एम0टी0–21/2025 दिनांकः अक्टूबर ३१, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या दस–डीजी–चार–125(14)/2018/355 दिनांक 10–09–2025 के साथ प्राप्त अपर सचिव–प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी–चार–12(40)/2025 दिनांक 01–09–2025 द्वारा निम्नलिखित आरक्षी चालकों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष–2025 में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 10–09–2025 के क्रम में **31 अक्टूबर, 2025** को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष **दिनांक 01–11–2025 से** उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

सूची क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ नं0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
56	100	980670066	नेपाल सिंह	रमेश सिंह	एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ	2025
57	101	980580514	मोहम्मद फारिक हाशमी	नजर हुसैन	कौशाम्बी	2025
58	102	980670196	चन्द्रशेखर वर्मा	हीरालाल वर्मा	सुलतानपुर	2025
59	103	980490062	दिलीप कुमार	श्री श्रवण कुमार मिश्र	झाँसी	2025
60	104	980631111	दीवान सिंह	हीरालाल	कानपुर देहात	2025
61	105	980701124	जगपाल सिंह	श्री उदयवीर सिंह	बुलन्दशहर	2025
62	106	030460326	दीप चन्द्र	सीताराम	बरेली	2025
63	107	030750500	मुकेश कुमार	चन्दन सिंह	ललितपुर	2025
64	108	030670219	मो0 तारिक	श्री समसुद्दीन सिद्दीकी	कमिश्नरेट कानपुरनगर	2025
65	109	030450468	मृत्युन्जय कुमार यादव	रामायण यादव	बस्ती	2025
66	110	040570323	मो0 जाहिद	फसी अहमद	बस्ती	2025

2. पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवा नियमावली–2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। पदोन्नति पाये कर्मी के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिशिचित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरूद्व अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरूद्व विद्यमान नहीं हो।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन नही कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्व अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेगें।

6. आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप 'क' उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाईट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive पर प्रदर्शित है।

संलग्नकः
स्वघोषणा पत्र का प्रारूप–क

31.x.25
(राजकुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक–लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद एवं इकाई में नियुक्त सूची में अंकित आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें :–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टास्क फोर्स उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुरनगर।
3. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी/सुलतानपुर/झांसी/कानपुरदेहात/बुलन्दशहर/बरेली/ललितपुर एवं बस्ती।

<u>संख्या तथा दिनांक वही।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :–

1. पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 10–09–2025 के संदर्भ में।
2. अपर सचिव–प्रोन्नति, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 01–09–2025 के संदर्भ में।

स्व-घोषणा-पत्र

मैं----------(नाम/पदनाम व पीएनओ)
पुत्र----------निवासी----------
थाना----------जनपद----------वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)
---------- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) 'मेरे विरूद्ध उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।'

2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुए मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3. यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित कर्मी के विरूद्ध उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमवली-1991के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है, तो उसका पूर्ण विवरण उनके द्वारा नीचें अंकित किया जायेगा:-

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण----------

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई ---------- में कार्यवाही लंबित है, जिसमें दिनांक---------- को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0----------धारा---------- थाना---------- जनपद---------- में लंबित है, जिसमें दिनांक----------को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी----------द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग---------- वर्तमान में ---------- स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोटः-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप-प्रस्तर लागू न हो उसें स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।